भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *19

21.07.2025 को उत्तर के लिए

रेत के अवैध खनन का प्रभाव

***19. डॉ. कडियम काव्य :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना के पूर्ववर्ती वारंगल जिले में गोदावरी नदी के तट पर अवैध खनन के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत उक्त जिले में आरंभ की गई वनरोपण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पाखल झील और वन्य जीव अभयारण्य को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान वारंगल के वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"रेत के अवैध खनन का प्रभाव" के संबंध में डॉ. कडियम काव्य द्वारा दिनांक 21.07.2025 (सोमवार) को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *19 के पैरा (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) [एमएमडीआर] अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के अंतर्गत रेत को गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अवैध खनन को खान मंत्रालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचित खनिज रियायत नियम, 2016 में परिभाषित किया गया है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 और धारा 23ग के अनुसार, रेत सहित गौण खनिजों के अवैध खनन को विनियमित करने, इनकी निगरानी करने और रोकने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास है। तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीजीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गोदावरी नदी के किनारों पर अवैध रेत खनन के संबंध में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, तेलंगाना के पूर्ववर्ती वारंगल जिले में गोदावरी नदी के किनारों पर अवैध रेत खनन के प्रभाव पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

केन्द्र सरकार, नीतिगत पहलों और तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से अवैध रेत खनन के मुद्दों के समाधान हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

खान मंत्रालय ने राज्य प्रवर्तन तंत्रों को सहयोग देने के लिए वर्ष 2015 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन सहित कई कदम उठाए हैं जिसमें खनिज संरक्षण एवं विकास नियम (एमसीडीआर) के नियम 45 के अंतर्गत कड़े दंडात्मक प्रावधान, अनिवार्य पंजीकरण और रिर्पोटिंग का प्रावधान है। खान मंत्रालय ने खनन पट्टों के आसपास अवैध खनन कार्यकलापों पर रोक लगाने और राज्य सरकारों को अवैध खनन कार्यकलापों का पता लगाने और उन पर रोक लगाने में सहायता के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) भी विकसित की है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संधारणीय रेत खनन समाधान प्रदान करने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निगरानी तंत्र के माध्यम से अवैध रेत खनन की रोकथाम के लिए संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश (एसएसएमजी), 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश (ईएमजीएसएम), 2020 जारी किए हैं। एसएसएमजी, 2016 और ईएमजीएसएम 2020 में पुनःपूर्ति अध्ययन और जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इन अध्ययनों और रिपोर्टों का यदि ठीक से पालन किया जाए तो व्यवस्थित, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से रेत खनन हो सकता है।

(ख) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है। यह मिशन जीआईएम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशित योजनाओं के आधार पर वन/वृक्ष आवरण बढ़ाने और मौजूदा वनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तेलंगाना राज्य ने जीआईएम के अंतर्गत अपनी प्रत्याशित योजना प्रस्तुत नहीं की है और इसलिए वर्तमान में हरित भारत मिशन में भाग नहीं ले रहा है। तेलंगाना राज्य

वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत वारंगल क्षेत्र में कोई भी वनरोपण परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ग) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन हेतु आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के अंतर्गत, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु शक्तियाँ एवं कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरणों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सौंपे गए हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 30.11.2016 को पाखल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) को अधिसूचित किया है, जिसमें वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, हानिकारक पदार्थों का उत्पादन, प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित अपशिष्टों का निस्तारण आदि सहित ईएसजेड के अन्दर कुछेक कार्यकलाप निषिद्ध है।

तेलंगाना राज्य वन विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर, पाखल झील और वन्यजीव अभयारण्य को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

i. अतिक्रमित क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति
ii. तेलंगाना वन अधिनियम, 1967 की धारा 20 के अंतर्गत अतिक्रमण के मामलों में अभियोजन।
iii. अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण।
iv. वन क्षेत्रों में अतिक्रमण और वन्यजीव शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित पहरा।
v. वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीव शिकार और अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
vi. पाखल झील के पारि-पर्यटन क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध।

तेलंगाना वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, हरित निधि योजना के अंतर्गत पाखल में पारि-पुनर्स्थापन कार्यों के लिए 274 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

टीजीपीसीबी, क्षेत्रीय कार्यालय, वारंगल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पाखल झील से प्रत्येक महीने पानी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं।

(घ) मंत्रालय ने वर्ष 2021 में वन और वन्यजीव क्षेत्रों में संधारणीय पारि-पर्यटन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संचालन की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, मंत्रालय, वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन और उनके पर्यावास के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना "वन्यजीव पर्यावासों का विकास" के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कार्यकलापों में पारि-पर्यटन शामिल है। पिछले एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत पारि-पर्यटन के लिए तेलंगाना राज्य को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

*****